भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

परिपत्र

विषयः- मंत्रालय की वेबसाइट द्विभाषीकरण के संबंध में।

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार सरकारी नीतियों, आदेशों तथा सूचनाओं की जानकारी आम आदमी तक सुगमता से पहुंचाने के लिए मंत्रालय द्वारा सभी आदेश तथा सूचनाएं इत्यादि वेबसाइट पर हिंदी-अंग्रेजी में उपलब्ध कराना अपेक्षित है।

सचिव, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) की अध्यक्षता में आयोजित केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों तथा अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड की अध्यक्षता में आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में रेलवे बोर्ड कार्यालय की वेबसाइट www.indianrailways.gov.in के द्विभाषीकरण की स्थिति के संबंध में मुख्य रूप से चर्चा की जाती है। साथ ही, संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उपसमिति जो कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति है, भी राजभाषा निरीक्षणों के दौरान वेबसाइट के द्विभाषीकरण पर जोर देती रहती है।

अतः बोर्ड कार्यालय की सभी शाखाओं/ अधिकारियों से अनुरोध है कि वे वेबसाइट पर अपलोड की जाने वाली सभी सामग्री अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी में भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाएं ताकि भारत सरकार की राजभाषा नीति का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

वी सुगुणा 26/6/25
(डॉ. वी. सुगुणा)
निदेशक, राजभाषा,
रेलवे बोर्ड

सं. हिंदी-2021/रा.भा.-1/23/10
दिनांक : 26/06/2025

प्रतिलिपिः-

1. बोर्ड कार्यालय एवं कॉफ्मो की सभी शाखाओं को प्रेषित।
2. क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली- 110021